



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2011/चैत्र 10, 1933

No. 176]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2011/CHAITRA 10, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सा.का.नि. 279(अ).—न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2010 के नियमों का प्रारूप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 द्वारा यथा अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 876(अ) तारीख 2 नवम्बर 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए बिल के उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीन मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व आलेख और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 नवम्बर, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार से कोई आक्षेप अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 1949 उन बातों के सिवाय अधिक्रस्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

नियम

1. (i) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) अभिप्रेत है;
- (ख) “बोर्ड” से, अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ग) “अध्यक्ष” से केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (घ) “सदस्य” से केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

3. केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन:- (1) बोर्ड में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले, नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, जो संख्या में बराबर होंगे, और नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संघों में से नामित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक स्वतंत्र सदस्य होंगे।

- (2) बोर्ड में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले निम्नलिखित स्वतंत्र सदस्य होंगे, अर्थात् :-
- (i) अध्यक्ष;
- (ii) एक संसद सदस्य;
- (iii) बोर्ड के प्रत्येक पुनर्गठन पर- दो सदस्य, यथासंभव, बारी बारी से, किन्हीं दो क्षेत्रों से, जो उस क्षेत्र में राज्य विधान सभाओं के सदस्य हों, निम्नलिखित क्रम से लिए जाएंगे, अर्थात् :-

- | | | | |
|-----|--------------------|---|---|
| (क) | पूर्वी क्षेत्र | - | पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; |
| (ख) | पूर्वोत्तर क्षेत्र | - | अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम; |
| (ग) | दक्षिणी क्षेत्र | - | आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप; |
| (घ) | उत्तरी क्षेत्र | - | पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़; |
| (ङ) | पश्चिमी क्षेत्र | - | महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव; |
- (iv) एक सदस्य, जो मजदूरी और श्रम संबंधी मामलों के क्षेत्र में व्यावसायिक हो;
- (v) एक सदस्य, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, अथवा किसी मजदूरी बोर्ड का अध्यक्ष हो अथवा रहा हो;
- (vi) बोर्ड के प्रत्येक पुनर्गठन पर- दो सदस्य, यथासंभव, बारी बारी से, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के राज्यों से लिए जाएंगे, जो राज्य सरकारों द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होंगे;
- (vii) बोर्ड के प्रत्येक पुनर्गठन पर- प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य, यथासंभव, बारी-बारी से लिए जाएंगे जो, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य श्रम विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव अथवा आयुक्त होंगे।”

4 सदस्यों की पदावधि - (1) इन नियमों के उपबंधों के अधधीन, शासकीय सदस्यों से भिन्न, सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से प्रारम्भ हो कर दो वर्ष का होगा:

परन्तु यह कि कोई सदस्य, उक्त दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक पद पर बना रहेगा।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित कोई सदस्य, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक जिस सदस्य के स्थान पर उसे नामित किया गया था, यदि रिक्ति हुई होती तो वह सदस्य उस पद पर बना रहने का हकदार होता।

(3) शासकीय सदस्य अन्यो द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक पद पर बने रहेंगे।

5. पुनः नामनिर्देशन किए जाने की पात्रता- कार्य काल पूरा कर चुका सदस्य पुनः नामनिर्देशन किए जाने का पात्र होगा।

6. त्याग-पत्र -(1) अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में सम्बोधित पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है।

(2) अध्यक्ष अपना पद, केन्द्रीय सरकार को संबोधित पत्र के द्वारा त्याग सकते हैं।

(3) किसी सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा -

(i) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल करार दिया जाए; अथवा

(ii) यदि वह अनुमोचित शोधक्षम हो; अथवा

(iii) यदि अधिनियम शुरू होने से पहले अथवा उसके बाद उसे किसी अपराध में सिद्धदोष पाया गया हो, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक चरित्रहीनता शामिल हो।

(4) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य के नामांकन को रद्द कर सकती है, यदि उसकी राय में उसने उस हित का प्रतिनिधित्व करना समाप्त कर दिया हो जिसकी तरफ से उसे नामित किया गया था।

7. सदस्यता के प्रत्यावर्तन की समाप्ति - (1) यदि कोई सदस्य बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति की सदस्यता तब समाप्त मानी जाएगी जब इस प्रकार सदस्यता समाप्ति पत्र की सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा ऐसे प्रतिबंध के पन्द्रह दिनों के भीतर भेज दी जाए। उस पत्र में यह उल्लिखित होगा कि यदि वह अपनी सदस्यता का प्रत्यावर्तन चाहता है तो उसे ऐसे पत्र की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अध्यक्ष को लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसे प्रत्येक आवेदन में तीन क्रमिक बैठकों में उपस्थित न होने के कारण उल्लिखित होंगे। सदस्यता का प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन, यदि प्राप्त हुए हों, बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे और यदि बैठक में विद्यमान अधिकांश सदस्य संतुष्ट हों की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न रहने का कारण समुचित है, तो सदस्य की सदस्यता तत्काल प्रत्यावर्त कर दी जाएगी और इस संबंध में एक संकल्प पारित किया जाएगा।

8. बैठक - अध्यक्ष, जब उचित समझें तथा आधे से अनधिक सदस्यों से प्राप्त लिखित मांग की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, बोर्ड की बैठक बुला सकते हैं।

9. बैठक की सूचना - (1) अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान का निर्धारण करेगा। सामान्यतः बोर्ड की प्रत्येक बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को तारीख निर्धारण के 15 दिनों के भीतर दे दी जाएगी। सूचना के साथ ही बैठक की प्रस्तावित कारबार से संबंधित सूची संलग्न की जाएगी।

(2) यदि कोई आपात बैठक बुलाना आवश्यक हो तो प्रत्येक सदस्य को कम से कम सात दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।

10. बैठक के अध्यक्ष - अध्यक्ष, बैठकों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विद्यमान सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए अपने में से किसी एक सदस्य का चुनाव करेंगे।

11. **गणपूर्ति** - किसी बैठक की कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि एक-तिहाई सदस्य मौजूद न हों :-

परन्तु, यदि किसी बैठक में एक- तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष एक घंटे के लिए बैठक स्थगित कर सकते हैं अथवा जैसा उपयुक्त समझें और ऐसे स्थगित बैठक की कार्रवार को पूरा करना विधिसम्मत होगा चाहे सदस्य कितनी भी संख्या में मौजूद हों।

12. **कार्रवार निपटान** - कोई भी कार्य, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित हो, बैठक के दौरान उस पर विचार किया जाएगा :

परन्तु, अध्यक्ष यदि उचित समझें, तो जरूरी दस्तावेज सभी सदस्यों के विचारार्थ भेजने का निर्देश दे सकते हैं:

परन्तु और यह कि, इस प्रकार भेजे गए किसी प्रश्न संबंधी निर्णय पर कार्यवाई तभी की जाएगी जब बोर्ड के दो तिहाई से अधिक सदस्य इस प्रश्न पर सहमत हों। जब कभी ऐसा बहुमत न हो अथवा जब अध्यक्ष ऐसे किसी प्रश्न का निर्णय करते हैं तो उस पर बोर्ड की विधिवत बुलाई गई बैठक की कार्यवाही के दौरान चर्चा की जाएगी।

13. **मतदान की प्रक्रिया** - मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर की जाएगी। यदि कोई सदस्य बैलेट के माध्यम से मतदान चाहता है अथवा अध्यक्ष ऐसा चाहे तब मतदान गुप्त बैलेट के माध्यम से कराया जाएगा और इस प्रक्रिया को अध्यक्ष की इच्छानुसार पूरी रीति से संपन्न कराई जाएगी।

14. **बहुमत द्वारा निर्णय** - बोर्ड की बैठक के दौरान प्रत्येक प्रश्न पर बोर्ड में उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा मतदान द्वारा निर्णय लिए जाएंगे:

परन्तु, मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता कर रहे सदस्य का मत निर्णायक होगा।

15. **बैठक की कार्यवाही** - प्रत्येक बैठक की कार्यवाही में अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम, बोर्ड के केन्द्र तथा सभी राज्य सरकारों के प्रत्येक सदस्य को जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है और बैठक की समाप्ति के तत्काल पश्चात जितनी जल्दी संभव हो, किसी भी स्थिति में, अगली बैठक से सात दिन पूर्व से कम नहीं, भेज दी जाएगी।

प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाएगी और उनमें अगली बैठक में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-32012/1/2010-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

डॉ. हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

G.S.R. 279(E) Whereas the draft rules, namely, the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 2010, were published as required by section 29 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 876(E), dated the 2nd November, 2010 for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of three months, from the date on which copies of the Gazette containing the said Notification were made available to the public;

AND whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd day of November, 2010;

AND whereas no objections or suggestions have been received on the said proposals by the Central Government;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by section 29 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 1949, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 2011.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** — In these rules, unless the context is otherwise requires,—
 - (a) "the Act" means the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948);
 - (b) "Board" means the Central Advisory Board constituted under section 8 of the Act;
 - (c) "Chairman" means the Chairman of the Central Advisory Board;
 - (d) "member" means a member of the Central Advisory Board;

3. Constitution of the Central Advisory Board.— (1) The Board shall consist of persons to be nominated by the Central Government representing employers organisations and workers unions, who shall be equal in number, and independent members not exceeding one-third of the total number of members nominated from employers organisations and workers unions.

(2) The Board shall consist of the following independent members to be nominated by the Central Government, namely:—

- (i) The Chairman;
- (ii) one Member of Parliament;
- (iii) two members from any of the two regions, being taken in rotation, to the extent possible, who shall be Members of State Legislative Assemblies in that region, on every re-constitution of the Board in the following order, namely:—

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| (a) Eastern Region | — | West Bengal, Orissa, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Andaman and Nicobar Islands; |
| (b) North-Eastern Region | — | Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim; |
| (c) Southern Region | — | Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Lakshadweep; |
| (d) Northern Region | — | Punjab, Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, NCT of Delhi and Chandigarh; |
| (e) Western Region | — | Maharashtra, Gujarat, Goa, Madhya Pradesh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu; |

(iv) one member who is a professional in the field of wages and labour related issues;

(v) one member who is or who has been a presiding officer of an Industrial Tribunal constituted under section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 or a Chairman of a Wage Board;

(vi) two members, who shall be Chairman of the Advisory Board set-up by the State Governments, the States from different regions, to the extent possible, being taken in rotation on every re-constitution of the Board;

(vii) one member each, who shall be Principal Secretary or Secretary or Commissioner of the State Labour Department representing the region, to the extent possible, being taken in rotation, on every re-constitution of the Board.

4. Term of office of members.— (1) Subject to the provisions of these rules, the terms of office of members, other than official members, shall be two years commencing from the date of their appointment:

Provided that a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until the appointment of his successor.

(2) A member nominated to fill a casual vacancy shall hold office, only so long as the member in whose place he is nominated would have been entitled to hold office if the vacancy had occurred.

(3) The official members shall hold office until replaced by others.

5. Eligibility for re-nomination. — An outgoing member shall be eligible for re-nomination.

6. Resignation.— (1) A member other than the Chairman may resign his office by a letter in writing addressed to the Chairman.

(2) The Chairman may resign his office by a letter addressed to the Central Government.

(3) A member shall be deemed to have vacated his office—

- (i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or
- (ii) if he is an undischarged insolvent; or
- (iii) if before or after the commencement of the Act, he has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude.

(4) The Central Government may cancel the nomination of a member if, in its opinion, he has ceased to represent the interest on whose behalf he was nominated.

7. Cessation of restoration of membership. — (1) If a member fails to attend three consecutive meetings of the Board, he shall cease to be a member thereof.

(2) A person who ceases to be a member under sub-rule (1) shall be informed of such cessation by a letter sent to him by registered post within fifteen days from the date of cessation. The letter shall indicate that if he desires restoration to membership, he may apply in writing in this behalf to the Chairman within thirty days from the receipt of such letter. Every such application shall contain the reason for the failure to attend three consecutive meetings. The application for restoration to membership, if received, shall be placed before the Board and if a majority of members present at the meeting are satisfied that the reason for failure to attend three consecutive meetings are adequate, the member shall be restored to membership immediately after a resolution to that effect is adopted.

8. **Meeting.**—The Chairman may, whenever he thinks fit and shall within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one-half of the members, call a meeting of the Board.

9. **Notice of meetings.** — (1) The Chairman shall decide the date, time and place of every meeting. Ordinarily, notice of not less than fifteen days from the date of posting thereof shall be given to every member for each meeting of the Board. A list of business proposed to be transacted at the meeting shall be attached with the notice.

(2) If it is necessary to convene an emergent meeting, at least seven days notice shall be given to every member.

10. **Chairman of the meeting.** — The Chairman shall preside at the meetings and in the event of the absence of the Chairman, the members present may elect one amongst themselves to preside at the meeting.

11. **Quorum.**— No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third members are present:

Provided that if at any meeting less than one-third members are present, the Chairman may adjourn the meeting for an hour or so, as considered appropriate and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members attending it.

12. **Disposal of business.** — Any business which requires consideration by the Board shall be considered at a meeting thereof:

Provided that the Chairman may, if he thinks fit, direct that the necessary papers may be referred for opinion to all members:

Provided further that the decision on any question which is so referred shall be acted upon only if it is supported by not less than a two-thirds majority of the members of the Board. Where there is no majority or where the Chairman so decides the question shall be considered at a duly convened meeting of the Board.

13. Method of voting. — Voting shall ordinarily be by show of hands. If any member asks for voting by ballot or if the Chairman so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairman may desire.

14. Decision by majority. — Every question at a meeting of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting:

Provided that in the case of equality of votes, the Chairman or the person presiding shall have a casting vote.

15. Proceedings of the meeting. — (1) The proceedings of each meeting showing, *inter alia*, the names of the members present thereat shall be forwarded to each member of the Board, to the Central and to all State Governments where the Act is in force, as soon as possible after the meeting and, in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The minutes of each meeting shall be confirmed with such modifications as may be considered necessary at the next meeting.

[F. No. S-32012/1/2010-WC (MW)]

Dr. HARCHARAN SINGH, Dy. Director General